<u>राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग</u>

<u>फाईल नं. UP/560/2018-APCR व अन्य फाईल</u>

<u>सुनवाई तिथि 17.07.2019 & 23.07.2019 का कार्यवृत्त</u>

दिनांक 15.07.2019 को मेरठ मण्डल की सुनवाई में आयुक्त मेरठ व एडीजी मेरठ उपस्थित हुए थे। उन्होंने दिनांक 17.07.2019 की सुनवाई (मेरठ व हापुड़ जिलों) से कांवड़ यात्रा के कारण छूट मांगी थी जो प्रदान की गई। दिनांक 17.07.2019 व 23.07.2019 की सुनवाई में एडीएम हापुड़ व पुलिस अधीक्षक को उपस्थित होने की अनुमति दी गई।

17.07.2019 की सुनवाई के दौरान श्री जयनाथ यादव, अपर जिला मजिस्ट्रेट, हापुड़, श्री राम एआरजे, एसपी क्राइम, श्री संतोष कुमार, डीएसपी हापुड़ व अन्य अधिकारी उपस्थित हुए।

हापुड़ के 4 प्रकरण पर सुनवाई दिनांक 23.07.2019 को हुई। श्री जयनाथ यादव, अपर जिला मजिस्ट्रेट, हापुड़, श्री राजेश चौधरी, जिला समाज कलयाण अधिकारी, हापुड़, श्री सर्वेश कुमार मिश्रा, Addl. SP, हापुड़ सुनवाई में उपस्थित थे।

सभी प्रकरणों में विस्तार से चर्चा की गई और यह तय हुआ कि अंकित अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण करके आयुक्त मेरठ व एडीजी मेरठ अपने-अपने कार्यक्षेत्र संबंधी प्रकरणों में एक माह में tabular form में संयुक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

प्रकरणों के अनुसार अपेक्षित कार्यवाही निम्न है:

दिनांक 17.07.2019 की सुनवाई :

1.	UP/560/2018-APCR & UP/527/2018-APCR देवेन्द्र, मेरठ	प्रार्थी श्री देवेन्द्र उपस्थित थे। प्रार्थिनी ने यह सूचित किया कि उनके पुत्र रोहित (उम्र 17 वर्ष) की हत्या दिनांक 09.08.2018 को कर दीं गई। विपक्षियों द्वारा घटना के 6 दिन बाद एक क्रास एफआईआर अभ्यावेदनकर्ती के विरूद्ध पंजीकृत कराई गई। अभ्यावेदकर्ता ने सूचित किया कि पुलिस द्वारा इसमें वास्तविक दोषी व्यक्तियों राहुल, रवि के विरूद्ध आरोप पत्र नहीं प्रेषित किया गया तथा विवेचनाधिकारी भी बयान लेने लगभग 1 वर्ष बाद जुलाई 2019 में गए। उनके द्वारा इसमें 9 व्यक्तियों को नामजद कराया गया। पुलिस द्वारा इसमें 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा 3 की नामजदगी गलत पाई गई। दोनों ही प्रकरणों पर पुलिस

		द्वारा दिनांक 11.07.2019 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। पुलिस द्वारा अगस्त 2018 के प्रकरण में बहुत विलम्ब (लगभग 1 वर्ष) किया गया। प्रतीत होता है कि आयोग से सुनवाई के पत्र मिलने पर आनन-फानन आरोप पत्र प्रेषित किए गए हैं। अत: सही पुनिर्विवेचना आवश्यक है। **अपेक्षित कार्यवाही** : **पुलिस महानिरीक्षक** - इस प्रकरण की पुनर्विवेचना किसी अन्य वरिष्ठ अधिकारी से कराकर एक माह के अंदर आयोग को सूचित करें। **आयुक्त** - मृतक के परिजनों को रूपये 8,25,000/- की सहायता तथा घटना में घायल 4 व्यक्तियों में प्रत्येक व्यक्ति को रूपये 1,50,000/- की सहायता प्रदान की जा चुकी हैं। मृतक की माता को अतिरिक्त सहायता यथा पेंशन तथा भूमि का पट्टा इत्यादि उपलब्ध कराकर एक माह के अंदर सूचित करेंगी।
2.	UP/587/2018-APCR महावीर एवं सागर, मेरठ	प्रार्थी सर्वश्री महावीर एवं सागर उपस्थित थे। उन्होंने यह सूचित किया कि उनके 23 वर्षीय पुत्र की मृत्यु दिनांक 17-08-2018 को हो गई थीं। पुलिस द्वारा प्रकरण की विवेचना के दौरान सीसीटीवी इत्यादि देखा गया तथा विवेचना के उपरांत अंतिम रिपोर्ट दिनांक 08.09.2018 को न्यायालय में प्रेषित की गई। प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन हैं तथा इसकी अगली तिथि दिनांक 17.08.2019 नियत हैं। मृतक के परिजनों को रूपये 4,12,500- की सहायता प्रदान की जा चुकी हैं। प्रकरण बंद किया जाता हैं।
3.	UP/524/2018-APCR हापुड़	प्रकरण में पुलिस द्वारा आयोग को यह सूचित किया गया कि मृतक सुशील की हत्या उसकी पत्नी द्वारा अपने प्रेमी के साथ मिलकर करवा दी गई थीं। मृतक की पत्नी के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 29.08.2018 को न्यायालय में प्रेषित किया गया तथा वर्तमान समय में मृतक की पत्नी जेल में हैं तथा उसका डेढ़ वर्षीय पुत्र अपने नाना-नानी के साथ रह रहा हैं। **अपेक्षित कार्यवाही** : **आयुक्त** - बच्चे की कस्टडी न्यायालय से तय होने के पश्चात् ही आर्थिक सहायता/अतिरिक्त सहायता प्रदान करने की कार्यवाही की जाये। इस संस्तुति के साथ प्रकरण बंद किया जाता है।

4.	UP/505/2018-APCR & UP/429/2018-APCR मेरठ	प्रकरण में पुलिस द्वारा आयोग को यह सूचित किया गया कि मृतक विकास पुत्र स्व0 श्री विक्रम सिंह (उम्र 30 वर्ष) द्वारा प्रेम प्रसंग के कारण दिनांक 11.05.2018 को लड़की के घर जाकर जहर खा लिया। प्रकरण में आरोप पत्र सं0 516 दिनांक 07.12.2018 को धारा 306 भादवि व 3(2)V अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम में न्यायालय में प्रेषित किया गया। मृतक की माता को रूपये 8,25,000- की सहायता प्रदान की जा चुकी हैं। **अपेक्षित कार्यवाही :** **आयुक्त** - मृतक की माता को अतिरिक्त सहायता प्रदान कर एक माह के अंदर आयोग को सूचित करेंगें। इस संस्तुति के साथ प्रकरण बंद किए जाते हैं।
5.	UP/427/2018-APCR मेरठ	प्रकरण में पुलिस द्वारा आयोग को यह सूचित किया गया कि इस प्रकरण में मोनू पुत्र श्री चरन सिंह की मृत्यु नहर में डूबने के कारण हुई। मोनू स्वयं 302 का आरोपी था व बेल पर था। बाद में परिवार ने नहर में पायी लाश की पहचान की है पर डीएनए टेस्ट कराने से इंकार किया है। पुलिस द्वारा इसमें अंतिम रिपोर्ट सं. 75/19 दिनांक 16.05.2019 को न्यायालय में प्रेषित की गई। प्रकरण बंद किया जाता हैं।
6.	UP/424/2018-APCR मेरठ	प्रकरण में पुलिस द्वारा आयोग को यह सूचित किया गया कि प्रकरण में मृतक संजय के परिजन द्वारा कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत नहीं कराई गई। संजय मोटरसाईकिल एवं मोबाइल चोरी में पकड़ा गया था पकड़े जाने के 4 माह बाद दिनांक 15.04.2019 को उसकी मृत्यु इलाज के दौरान जेल में हो गई थीं। प्रकरण बंद किया जाता हैं।
7.	UP/334/2018-APCR श्रीमती कृष्णा, मेरठ	प्रार्थिनी श्रीमती कृष्णा उपस्थित थीं। उन्होंने आयोग को सूचित किया कि उनके पति स्व0 श्री बलजीत सिंह विद्युत विभाग में संविदा कर्मी के रूप में कार्यरत थें विद्युत लाईन पर कार्य कर रहे थे व लाईन में करंट चालू कर देने के कारण करण्ट लगने से उनकी मृत्यु दिनांक 19.02.2018 को हो गई थीं। इस संबंध में स्थानीय थाने पर दिनांक 14.02.2018 को प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत हुई। इसमें प्रार्थिनी के पति की मृत्यु के बाद धारा 304 की वृद्धि की गई। विभागीय जाँच में श्री कर्मवीर लाइनमैन को

		दोषी पाया गया। मृतक के परिजनों को रूपये 5,00,000- की आर्थिक सहायता पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0 द्वारा प्रदान की गई। श्रीमती कृष्णा ने बताया कि उनके पति ने शुभम हाउसिंग फाइनेंस कम्पनी से लगभग ₹4.50 लाख का लोन 22% ब्याज में लिया था। मूलधन की वापसी हो गई है पर ब्याज का बोझ लगभग उतना ही है व वे उसको देने की स्थिति में नहीं है। **अपेक्षित कार्यवाही :** **पुलिस महानिरीक्षक** - इस प्रकरण में धारा 3(2)V अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की वृद्धि कर 20 दिन के अंदर पूरक आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जाएं। **आयुक्त** - (i) प्रकरण में पश्चिांचल विद्युत वितरण निगम के ही कर्मचारी का दोष है] अत: उसके विरूद्ध कार्यवाही तथा निगम द्वारा मृतक की पत्नी/पुत्र को workmen compensation व insurance की राशि का भुगतान होना चाहिए व पत्नी/पुत्र को मृतक के स्थान पर कार्य दिया जाना उचित होगा। आयुक्त इस हेतु प्रबंध निदेशक पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम को पत्र भेज कर follow up सुनिश्चित करवायेंगी। (ii) प्रकरण में धारा 3(2)v की वृद्धि के पश्चात् नियमानुसार देय आर्थिक सहायता/अतिरिक्त सहायता स्वीकृत करवाकर भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करवायेंगी। शुभम हाउसिंग फाइनेंस कम्पनी के सीओ से लोन पर ब्याज को कम से कम कराने हेतु भी कार्यवाही करवायेंगी। **आयोग की इस कार्यवृत्त की प्रति प्रबंध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम को भी 1 माह में तद्नुसार कार्यवाही कर आयोग को सूचित करने हेतु भेजा जाए।**
8.	3/1070/2018-Gen. मेरठ	प्रार्थिनी उपस्थित हुई। प्रकरण में पुलिस द्वारा आयोग को यह सूचित किया गया कि अभ्यावेदनकर्ती श्रीमती रिंकी सिंह द्वारा मजिस्ट्रेट के सामने 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान तथा शपथ पत्र में किसी घटना का न होना बताया गया] किन्तु प्रार्थिनी द्वारा उपरोक्त से इंकार किया गया। पाया गया कि शपथ-पत्र तथा कोर्ट में बयान पर प्रार्थिनी के ही हस्ताक्षर है। चूंकि न्यायालय में बयान है अत: subjudice प्रकरण बंद किया जाता है। प्रकरण बंद किया जाता हैं।

9.	Delhi/212/2019-APCR मेरठ	प्रकरण में पुलिस द्वारा आयोग को यह सूचित किया गया कि इसमें वादी द्वारा कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत नहीं कराई गई। यह पारिवारिक विवाद हैं। प्रकरण बंद किया जाता हैं।
23.07.2019 की सुनवाई		
10	UP/506/2018-APCR, हापुड़	प्रिंस उर्फ रविन्द्र की मृत्यु के बाद पुलिस को सूचना/FIR नहीं की गई थी व मृतक के अंतिम संस्कार बिना पोस्टमॉर्टम के किया गया था। उसके बहुत समय बाद 156(3) में FIR की गई। चूंकि पोस्टमॉर्टम नहीं हुआ, अत: मृत्यु का कारण ज्ञात नहीं है। 2 बार अंतिम रिपोर्ट लगाई जा चुकी है। प्रकरण बंद किया जाता है।
11	UP/523/2018-APCR, हापुड़	प्रार्थी कौशल कुमार उपस्थित थे। उनकी पत्नी का बलात्कार दिनांक 04.08.2016 को किया गया था व उसके वीडियो वायरल किए गए थे। आरोपी के विरूद्ध FIR 37/16 दिनांक 08.08.2016 को दर्ज हुई व आरोपी देवेन्द्र भाटी को गिरफ्तार दिनांक 09.09.2016 को किया गया। पीड़िता का 164 का बयान विलंब से दिनांक 02.09.2016 को तथा मेडिकल भी विलंब से दिनांक 11.08.2016 किया गया। प्रार्थी का कथन था कि पुलिस ने आरोपी की सहायता की। FIR भी दिनांक 06.08.2016 के स्थान पर 08.08.2016 को की, उसको देर से गिरफ्तार किया, फोन जब्त नहीं किया व मेडिकल बयान में भी जानबूझ कर विलंब किया। दिनांक 10.05.2018 को उसपर दबाव डालने के लिए उसके भाई अनिल के विरूद्ध किसी सुनीता द्वारा 376 की FIR करवाई। प्रार्थी का कथन है कि सुनीता के देवेन्द्र भाटी के साथ संबंध है व प्रार्थी की पत्नी के प्रकरण में दबाव बनाने हेतु यह किया गया है। पुलिस ने सूचित किया कि प्रार्थी की पत्नी के प्रकरण आरोप पत्र सं. 12/16 दिनांक 03.10.2016 को, धारा 376/506 व 3(2)v

		में प्रेषित कर दिया गया है, किन्तु FIR व आरोप पत्र में आइटी एक्ट की धारा न शामिल करने के कारण Addl. S.P श्री सर्वेश कुमार मिश्रा सूचित नहीं कर पाये। Addl. S.P बिना प्रकरण संबंधी सूचना/जानकारी के उपस्थित हुए व आयोग का समय नष्ट किया। वे यह भी सूचित करने में असमर्थ थे कि मेडिकल व 164 का बयान कब कराया गया। प्रार्थी के भाई के विरूद्ध FIR आदि के बारे में भी जानकारी नहीं थी। पीड़िता को ₹3.75 लाख की आर्थिक सहायता दिनांक 22.07.2019 को दे दी गई है। **अपेक्षित कार्यवाही :** **एडीजी, मेरठ जोन :** Addl. SP श्री सर्वेश कुमार मिश्रा द्वारा आयोग का समय नष्ट करने, बिना सूचना व तैयारी के उपस्थित होने हेतु उनके विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करेंगे। लिखित परामर्श भी देंगे। भविष्य में आयोग में उपस्थित होने वाले सभी अधिकारियों के लिए अपने कार्यक्षेत्र में विस्तृत निर्देश भी निर्गत करेंगे। कृत कार्यवाही की सूचना 1 माह में देंगे। FIR 371/16 की विस्तृत जांच कि आईटी एक्ट की धारायें क्यों नहीं लगाई गई, व supplementary आरोप पत्र दायर करने की जांच किसी दूसरे Addl. SP द्वारा करवायेंगे। प्रार्थी के भाई अनिल के विरूद्ध FIR दिनांक 10.05.2018 (कदाचित 1052/18) की भी पुन: जांच करायेंगे। उस FIR की वादी के साथ प्रार्थी के भाई अनिल व देवेन्द्र भाटी से फोन/कॉल डिटेल्स आदि की जाँच भी पुनर्विवेचना का अंग होना उचित होगा। 1 माह में कृत कार्यवाही की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएँ। **आयुक्त :** प्रार्थिनी को सहायता अक्टूबर 2016 के स्थान पर 22.07.2019 को (3 वर्ष विलंब से) दी गई। अत: उसपर देय ब्याज स्वीकृत करायेगी व विलंब के कारण की जांच करायेंगी। अतिरिक्त सहायता यथा पेंशन, घर (PMAY), आयुष्मान योजना की सूची में नाम आदि स्वीकृत करवाकर 1 माह में रिपोर्ट देंगी।
12	UP/117/2018-APCR	प्रार्थी अमित कुमार उपस्थित थे। उनकी 13 वर्षीय बहन का बलात्कार व हत्या की गई थी। दिनांक 17.12.2017 को प्रार्थी का कथन है कि गुलशन शर्मा व उसके चाचा प्रकरण में शामिल हैं।

		पुलिस ने सूचित किया कि प्रकरण में मोहित को गिरफ्तार कर आरोप पत्र दिनांक 05.03.2018 को न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है। उसने हत्या करना स्वीकारा है। मोहित भी अनुसूचित जाति है अत: धारा 3(2)v नहीं लगी है। यह भी सूचित किया गया कि मृतक की माँ के नाम रानी लक्ष्मी बाई महिला एवं बाल सम्मान कोष से □10 लाख की स्वीकृति का प्रस्ताव दिनांक 23.07.2019 को महिला एवं बाल विकास विभाग को भेजा जा रहा है। **अपेक्षित कार्यवाही :** **आयुक्त :** प्रकरण में महिला एवं बाल कल्याण विभाग से 1 माह में स्वीकृति/भुगतान हेतु follow up करवायेंगी।
13	UP/369/2018-APCR, हापुड़	प्रार्थिनी अनीता उपस्थित थीं। उनकी 15 वर्ष की पत्री का अपहरण व बलात्कार दिनांक 12.05.2018 को 4 पुरूष व 1 महिला द्वारा किया गया था। प्रकरण में FIR सं. 134/2018 दायर की गई। बालिका ने अपने 164 के बयान में 5-6 लोगों की पुष्टि की थी पर पुलिस ने मात्र दीपक व चन्दन को गिरफ्तार किया। पुलिस ने सूचित किया कि इन दोनों के विरूद्ध आरोप पत्र सं. 282/18 दिनांक 07.08.2018 को न्यायालय में प्रेषित किया गया है। आयोग द्वारा पाया गया कि पुलिस की जांच अधूरी है- जिस गाड़ी से अपहरण किया गया उसको व चालक मालिक को नहीं ढूंढा गया। बच्ची ने बयान में 5-6 लोगों का शामिल होना सूचित किया था। अपहरण में एक वाहन चालक व 2 अन्य तो कदाचित शामिल होना स्वाभाविक प्रतीत होता है। पाया गया कि विवेचनाधिकारी श्री राजेश कुमार द्वारा प्रकरण में जांच में पूर्ण लापरवाही बरती गई है व अनुसूचित जाति की नाबालिग बालिका के इस गंभीर प्रकरण में असंवेदनशीलता प्रदर्शित की है। पीड़िता को अपेक्षित सहायता भी नहीं मिली है। **अपेक्षित कार्यवाही :** **एडीजी जोन : (i)** प्रकरण में किसी अन्य जिले के विवेचनाधिकारी से 1 माह में पुन: विवेचना करवायेंगे। (ii) सीओ श्री राजेश कुमार द्वारा अनुसूचित जाति की पीड़िता के प्रति असंवेदनशीलता, कार्य के प्रति लापरवाही, अपूर्ण विवेचना आदि के लिए उनके विरूद्ध कार्यवाही करके 1 माह में

		सूचित करेंगे। **आयुक्त :** पीड़िता को देय आर्थिक सहायता 3.50 लाख 1 सप्ताह में तथा अतिरिक्त सहायता जैसे पढ़ाई हेतु सहायता, PMAY में आवास आदि 1 माह में स्वीकृत करावयेंगी।

(प्रो.(डा.) राम शंकर कठेरिया)
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

<u>राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग</u>
<u>फाईल नं. UP/612/2018-APCR व अन्य फाईल</u>
<u>सुनवाई तिथि 18.07.2019 का कार्यवृत्त</u>

सुनवाई के दौरान निम्न उपस्थित थें -

1. श्री महेन्द्र कुमार, आयुक्त, देवीपाटन मण्डल, गोण्डा।
2. श्री धर्मेन्द्र सिंह, अपर आयुक्त, आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़।
3. श्री राकेश चन्द्र शर्मा, अपर आयुक्त, देवीपाटन मण्डल, गोण्डा।
4. श्री मनोज तिवारी, पुलिस उपमहानिरीक्षक, आजमगढ़ परिक्षेत्र, आजमगढ़।
5. श्री राकेश सिंह, पुलिस उपमहानिरीक्षक, देवीपाटन परिक्षेत्र, गोण्डा।
6. श्री ईजमारन जी, एएसपी, आजमगढ़।

सभी प्रकरणों में विस्तार से चर्चा की गई और यह तय हुआ कि अंकित अपेक्षित कार्यवाही पुलिस/आयुक्त द्वारा अब तक की कार्यवाही की प्रकरणवार रिपोर्ट पूर्ण करके आयुक्त तथा पुलिस उपनिरीक्षक एक माह में tabular form में संयुक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगें। प्रकरणों के अनुसार अपेक्षित कार्यवाही निम्न हैः-

1	UP/612/2018-APCR श्री मोतीलाल, आजमगढ़	प्रार्थी श्री मोतीलाल उपस्थित थे। प्रार्थी ने यह सूचित किया कि उनके पुत्र सत्य प्रकाश की मृत्यु अज्ञात वाहन से दिनांक 10.06.2018 को हो गई, जिसके संबंध में उनकी पत्नी श्रीमती सरिता देवी ने थाना दीदारगंज पर मु0अ0सं0 103/18 धारा 279, 304 ए भादवि बनाम चालक व गाड़ी नाम पता अज्ञात के विरूद्ध पंजीकृत कराई। वाहन का पता न चलने के कारण प्रकरण में अंतिम रिपोर्ट दिनांक 15.12.2018 को न्यायालय में प्रेषित की जा चुकी हैं। आर्थिक सहायता हेतु मोटर एक्सीडेण्ट क्लेम ट्रिब्यूनल (MACT), जिला जज, आजमगढ़ के कार्यालय में रिपोर्ट दाखिल कर दी गई हैं।

		अपेक्षित कार्यवाही : **आयुक्त** - मृतक के चार छोटे बच्चे हैं। मृतक की पत्नी को पेंशन, मुख्यमंत्री सर्वहित बीमा योजना के अंतर्गत रूपये 5,00,000 की बीमा राशि, आवास, 11 वर्षीय पुत्री को एटीएस में प्रवेश, आयुष्मान योजना का लाभ तथा यदि जनधन खाता हैं, तो बीमा राशि का लाभ प्रदान कर एक माह के अंदर सूचित करने का कष्ट करें, क्योंकि प्रकरण 1 वर्ष पुराना है अत: साथ ही साथ शासकीय अधिवक्ता को MACT में उपरोक्त प्रकरण में शीघ्र कार्यवाही करवाने हेतु निर्देश देंगे।
1	14/1/(1)/2018-RU श्री जवाहिर राम, आजमगढ़	मृतक जवाहिर राम के भाई हीरालाल उपस्थित थे। उन्होंने यह सूचित किया कि उनके भाई श्री हीरालाल की हत्या दिनांक 02.03.2018 को हो गई थीं, जिसमें उनके द्वारा जयराम यादव एवं 5 अन्य के विरूद्ध मु0अ0सं0 452/18 धारा 302/34 भादवि व 3(2)v अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम में पंजीकृत कराया गया, उसने सूचित किया कि मृतक की पहली स्वर्गवासी पत्नी से 2 बच्चे हैं एक 14 वर्षीय पुत्री (प्रतिमा) व एक 10 वर्षीय पुत्र (प्रवीर) तथा दूसरी पत्नी सीमा से 1 चार वर्षीय पुत्री है। 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा विवेचना के उपरांत आरोप पत्र दिनांक 15.03.2018 को न्यायालय में प्रेषित किया गया। मृतक की पत्नी श्रीमती सीमा देवी को रूपये 8,25,000 की आर्थिक सहायता दी जा चुकी हैं। **अपेक्षित कार्यवाही :** **आयुक्त** - मृतक की स्वर्गीय पत्नी के दोनों बच्चों 14 वर्षीय पुत्री प्रतिभा, पुत्र प्रतीक को भी नियमानुसार आर्थिक सहायता का भाग, कदाचित देय था, इसका नियमानुसार परीक्षण करा कर कार्यवाही, पट्टे की जमीन व दोनों बच्चों के नाम को एटीएस/कस्तूरबा स्कूल में प्रवेश दिलवाने की कार्यवाही एक माह में पूर्ण कर आयोग को सूचित करेंगे।
1	14/1/(1)/2018-RU बलिया	प्रकरण में पुलिस द्वारा आयोग को यह सूचित किया गया कि घटना दिनांक 07.02.2018 की हैं। प्रार्थिनी श्रीमती स्वाती देवी द्वारा थाना बांसडीह पर मु0अ0सं0 20/2018 धारा 376डी/323/506 भादवि व व 3 (2)V अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम में पंजीकृत कराया गया। 3 अभियुक्तों को दिनांक 13.02.2018 को गिरफ्तार किया गया। 3 अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 14.12.2018 को न्यायालय में प्रेषित किया गया। प्रार्थिनी श्रीमती स्वाती देवी को रूपये 6,18,750/- की आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी हैं। **अपेक्षित कार्यवाही :** **आयुक्त** - पीड़िता को अतिरिक्त सहायता पेंशन, आवास आदि स्वीकृत करवायेंगे व साथ में आयुष्मान योजना की सूची में नाम डलवाने का

		कार्य करवायेंगे।
1	UP/604/2018-APCR बलिया	प्रकरण में पुलिस द्वारा आयोग को यह सूचित किया गया कि दिनांक 08.04.2018 को आवेदिका के 09 वर्षीय पुत्र की टैक्ट्रर चालित भूसा काटने वाली मशीन से दबकर मृत्यु हो गई। इस सबंध में थाना रसड़ा पर मु0अ0सं0 113/2018 धारा 279/304ए बनाम अशोक कुमार के विरूद्ध पंजीकृत कराया गया। विवेचना के उपरांत आरोप पत्र दिनांक 07.06.2018 को न्यायालय में प्रेषित कर दिया गया। समझौते के रूप में आरोपियों द्वारा रूपये 2,00,000- मृतक के परिजनों को दिए गये। **अपेक्षित कार्यवाही** : **आयुक्त** - मोटर एक्सीडेण्ट क्लेम ट्रिब्यूनल एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करवाने हेतु शासकीय अधिवक्ता को निर्देश देकर 1 माह में आयोग को सूचित करेंगे।
1	UP/184/2018-APCR मऊ	प्रकरण में पुलिस द्वारा आयोग को यह सूचित किया गया कि इस प्रकरण में श्री सर्वजीत राम पुत्र श्री लालजी राम ने अपने अभ्यावेदन के माध्यम से अपने पुत्र अभिषेक की दिनांक 24.09.2017 को अज्ञात वाहन से मृत्यु के संबंध में अवगत कराया। इस प्रकरण में थाना हलधरपुर पर मु0अ0सं0 329/17 धारा 279, 304ए भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। दिनांक 17.12.2017 को अंतिम रिपोर्ट न्यायालय में प्रेषित कर दीं गई। **अपेक्षित कार्यवाही :** **पुलिस उपमहानिरीक्षक** - प्रकरण की अग्रिम विवेचना पुनः उप निरीक्षक, थाना हलधरपुर द्वारा प्रचलित हैं। विवेचना 1 माह में पूर्ण कर इस आयोग को सूचित करें। **आयुक्त** - मोटर एक्सीडेण्ट क्लेम ट्रिब्यूनल एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करवाने हेतु शासकीय अधिवक्ता को निर्देश देकर 1 माह में आयोग को सूचित करेंगे।
1	UP/608/2018-APCR मऊ	प्रकरण में पुलिस द्वारा आयोग को यह सूचित किया गया कि दिनांक 23.06.2018 को मृतक की पत्नी श्रीमती अनीता देवी की तहरीर पर थाना घोसी मऊ पर मु0अ0सं0 231/18 धारा 302, 147 भादवि बनाम संतोष पुत्र सतिराम पंजीकृत कराया गया। घटना की विवेचना एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार ट्रक सं0 यू0पी0 -50, बी0टी0-8686 द्वारा बालू गिराने के बाद ट्रक पीछे करने के कारण स्कूल की फील्ड में सो रहे रामकृपाल की दबकर मृत्यु हो गई। प्रकरण में प्रकाश में आया कि अभियुक्त राहुल कुमार यादव पुत्र बाल किशुन यादव, ग्राम पड़वारा रतसड़, थाना गडवार] जनपद बलिया के विरूद्ध धारा 279/337/338/304 ए भादवि का अपराध साबित होने पर आरोप पत्र सं0 ए-262/18 दिनांक 25.09.2019 को न्यायालय में प्रेषित

		किया गया। **अपेक्षित कार्यवाही** : **पुलिस महानिरीक्षक**- मोटर vehicle एक्ट में यह आवश्यक हैं कि ड्राईवर के साथ क्लीनर/सहायक भी रहें। क्लीनर/सहायक होता तो ट्रक back करते समय देखता व एक व्यक्ति की मृत्यु न होती। ट्रक मालिक के विरूद्ध कार्यवाही आवश्यक प्रतीत होती है जिसकी विवेचना में कोई चर्चा नहीं है व न ही उसपर कोई कार्यवाही की गई, अत: इस बिन्दु पर पुलिस द्वारा कार्यवाही की जानी आवश्यक है। **आयुक्त :** मोटर एक्सीडेण्ट क्लेम ट्रिब्यूनल एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करवाने हेतु शासकीय अधिवक्ता को निर्देश देकर 1 माह में आयोग को सूचित करेंगे। मुख्यमंत्री सर्वहित बीमा योजना से सहायता व यदि प्रार्थिनी का जनधन खाता हैं, तो उससे इंश्योरेंस का पैसा दिलाने की कार्यवाही तथा विधवा पेंशन स्वीकृत करवायेंगे। कृत कार्यवाही करवाकर एक माह के अंदर आयोग को सूचित करेंगे।
2	UP/173/2018-APCR मऊ	प्रकरण में पुलिस द्वारा आयोग को यह सूचित किया गया कि श्यामध्यान डांसपार्टी में नाचते थें। उनका शव दिनांक 07.02.2018 को पावर हाउस के पास बबूल के पेड़ से लटकता हुआ मिला। आवेदक के प्रार्थना पत्र दिनांक 15.03.2018 पर मा0 न्यायालय के आदेश अंतर्गत धारा 156(3) सीआरपीसी में दिनांक 03-07-2018 को थाना हलधरपुर मऊ पर मु0अ0सं0 175/18 धारा 302, 201 भादवि बनाम हरिश्चन्द्र एवं रामनवमी पंजीकृत किया गया। पुलिस द्वारा इसमें दिनांक 26.05.2019 को अंतिम रिपोर्ट लगा दीं गई। **अपेक्षित कार्यवाही :** **पुलिस उपमहानिरीक्षक** - मृतक की विसरा रिपोर्ट दिनांक 02.04.2019 को प्राप्त हुई, जिसमें कोई विषैला पदार्थ नहीं मिला। मृत्यु का कारण अज्ञात है। मुख्य चिकित्साधिकारी से डाक्टरों का पैनल बनवाकर मृत्यु का कारण पता कराया जाना आवश्यक प्रतीत होता है और इसकी पुनर्विवेचना सहायक पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी से कारण आयोग को एक माह के अंदर सूचित करें।
2	14/1(2)/2019-R.U. बहराइच	प्रार्थी श्री हीरालाल उपस्थित हुए। प्रार्थी ने यह सूचित किया कि दिनांक 29.01.2019 को उनकी 9 वर्षीय पुत्री के साथ बलात्कार की घटना हुई। इस संबंध में थाना बौण्डी पर मु0अ0सं0 15/2019 धारा 376 भादवि व 5एम/6 पाक्सो एक्ट व 3(2)5ए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान अभियुक्त दिनांक 30.01.2019 को गिरफ्तार किया गया। पीड़िता के 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान दिनांक 06.02.2019 को हुए। अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 08.03.2019 को न्यायालय में प्रेषित किया गया। पीड़िता के

		परिजनों को समाज कल्याण विभाग द्वारा रूपये 1,50,000/- की आर्थिक सहायता दिनांक 08.07.2019 को प्रदान की जा चुकी हैं। **अपेक्षित कार्यवाही :** **आयुक्त** - पीड़िता के परिजनों को आर्थिक सहायता की अवशेष शेष धनराशि के साथ-साथ आवास, अम्बेडकर फाउंडेशन/रानी लक्ष्मी बाई कोष से अतिरिक्त सहायता, पीड़िता का कस्तूरबा गांधी/एटीएस में प्रवेश कराकर एक माह के अंदर आयोग को सूचित करें। **पुलिस उपमहानिरीक्षक** - विपक्षियों द्वारा पीड़िता के परिवार को लगातार धमकी दीं जा रही हैं। अतः विपक्षियों के विरूद्ध सभी आवश्यक निरोधात्मक कार्यवाही की जानी आवश्यक है जिससे पीड़िता व उसके परिवार पर कोई दबाव/धमकी न हो व वे सुरक्षित रहें।
2	UP/393/2018-APCR बहराइच	प्रकरण में पुलिस द्वारा आयोग को यह सूचित किया गया कि आवेदिका का पति तीरथराम की हत्या दिनांक 15.09.2016 को तथा उसके पुत्र पराग की हत्या का प्रयास किया गया। थाना जरवलरोड बहराइच में मु0अ0सं0 1441/16 धारा 394/307/302/201 भादवि व 3(2)5 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम में पंजीकृत किया गया। विवेचना उपरांत पर्याप्त साक्ष्य पाएं जाने के कारण आरोप पत्र दिनांक 09.11.2016 को न्यायालय में प्रेषित किया गया। पीड़िता को शासनादेशों के अंतर्गत रूपये 8,25,000/- की आर्थिक सहायता तथा घायल पुत्र को रूपये 1,20,000/- की आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी हैं। **अपेक्षित कार्यवाही :** **आयुक्त** - प्रार्थिनी को नियमानुसार पेंशन एवं प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करवायेंगे तथा आयुष्मान स्कीम की सूची में नाम दर्ज करवायेंगे। इस संस्तुति के साथ प्रकरण बंद किया जाता है।
2	UP/746/2018-APCR गोण्डा	प्रार्थी श्री गौतम उपस्थित हुए। उन्होंने यह सूचित किया हैं कि उनकी 15 वर्षीय पुत्री के साथ दिनांक 12.03.2018 से 14.03.2018 एवं दिनांक 01.05.2018 को अभियुक्त द्वारा बलात्कार किया गया। प्रथम घटना के बाद दिनांक 15.03.2018 को अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जो बाद में जमानत पर छूट गया। उसने अपने साथियों सहित पुन: दिनांक 01.05.2018 को बलात्कार किया। प्रकरण में आरोप-पत्र दिनांक 25.03.2018 को दायर हैं। पीड़िता को रूपये 3,75,000 की आर्थिक सहायता दीं गई। बाद में पीड़िता एवं विपक्षियों के मध्य समझौता हो गया। **अपेक्षित कार्यवाही :** **पुलिस महानिरीक्षक :** दूसरे प्ररकण में FIR न लिखे जाने की बात

		प्रार्थी ने की है। अत: पुलिस महानिरीक्षक इस बिन्दु पर जांच करायेंगे कि FIR क्यों दर्ज नहीं की गई। आवश्यकता पड़ने पर बहराईच जिले से जांच करवायेंगे।
2	14/1(2)/2019-R.U. गोण्डा	पुलिस ने आयोग को यह सूचित किया गया कि 12 वर्षीया बालिका के साथ दिनांक 22.01.2019 को बलात्कार की घटना हुई। दिनांक 22.01.2019 को बालिका का मेडिकल किया गया तथा उसके 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान कराएं गये। पुलिस ने धारा 376, भादवि व 3(2)5 में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। दिनांक 28.05.2019 को न्यायालय में प्रकरण निर्णीत कर दिया गया। पीड़िता को रूपये 3,75,000 की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। प्रकरण बंद किया जाता हैं।

(प्रो.(डा.) राम शंकर कठेरिया)
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED CASTES
सत्यमेव जयते
GOVT OF INDIA
NCSC